न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 10/2020 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगणः–

1.पदमाराम पुत्र बांकाराम 2.देराजराम 3.वीरमाराम पि.पदमाराम जातियान जाट, निवासी कोठे का तला (धारासर) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1.नारणाराम पुत्र बांकाराम 2.ठाकराराम 3.गोरखाराम 4.अमराराम पि.देदाराम (विप्रार्थी सं. 03 व 04 ना.बा.जरिये वलि विप्रार्थी सं. 05 माता जमना) 5.जमना पत्नि देदाराम 6.सताराम 7.मोडाराम पि. मूलाराम 8.प्रहलादराम 9.नेनूराम 10.देवाराम 11.अर्जनराम 12.जुगताराम 13.खेराजराम 14.दीपाराम 15.पेमी 16.पारू पि. निम्बाराम 17.सताराम पुत्र लाखाराम 18.तुलसाराम 19.सुरताराम पि. रूगाराम, जातियान जाट, निवासी कोठे का तला(धारासर) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
20.तहसीलदार एवं उपपंजीयक चौहटन

(SDO) चौहटन उपखण्ड अधिकारी

वकील प्रार्थीगण :– श्री फताराम गोदारा

वकील विप्रार्थीगणः– श्री ठाकराराम , श्री पवन धारीवाल

निर्णय

दिनांक 30.07.2021

प्रार्थीगण पदमाराम पुत्र बांकाराम, जाति जाट, निवासी कोठे का तला (धारासर), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्ग[illegible]) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी[illegible]काश्तकार है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जासुदा खेत [illegible] (धारासर), तहसील [illegible]टन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 771/431 रकबा 22.10 बीघा [illegible]वं खसरा सं. 417 रक[illegible].10 बीघा स्थित है। जिस पर उसके रहवास हेतु ढाणिया, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:30 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Scanned by CamScanner

उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को अपनी जोत से सरकारी सड़क मार्ग धारासर से चौहटन रोड़ आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा सं. 770/431, 769/431, 428, 741/419, 742/419 की भूमि मौजा कोठे का तला (धारासर) में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 5, 8 से 11, 13 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम एवं विप्रार्थी सं. 6, 7 व 17 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया। प्रार्थी सं. 03 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 07 सीपीसी का वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने का पेश किया, उपस्थित अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कहा कि मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है। अतः चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 5, 8 से 11, 13 से 16 एवं विप्रार्थी सं. 6, 7 व 17 के वकील उपस्थित हुए। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, उसी अनुसार रास्ते के आदेश किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है ... विवरण निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	770/431	22.19	बा.सो.	20 फीट	00.04	कोठे का तला (धारासर)	नारणा वल्द बांका
2.	769/431	23.11	बा.सो.		00.05		ठाकरा पुत्र देदा वगैरा
3.	428	51.08	बा.सो.		01.19		सता पुत्र मूला वगैरा
4.	741/419	11.09	बा.सो.		00.06		तुलसा वल्द रूगा
5.	742/419	08.00	बा.सो.		00.05		सुरता वल्द रूगा

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 770/431, 769/431, 428, 741/419, 742/419 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आदेश पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:51:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीग[illegible]तरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रा[illegible] भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि [illegible]स्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Scanned by CamScanner

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को दिया जाता है। तहसीलदार प्रस्तुत मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम ॥)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ......गणेशाराम...... (नाम) भू. ~~अभिलेख निरीक्षक~~ तहसीलदार चौहटन वृत्त......................, कार्यालय, तहसीलदार ......चौहटन...... के आदेश कमांक 496-497 दिनांक .... की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 31-03-2021 समय 3 P.M. बजे आराजी खसरा नम्बर–771 ..... वाके ग्राम कोनरा पटवार मंडल धारासर ..... पर श्रीमती सुनीता जाट पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक 31-03-2021 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
(1)	ठाकरा	हेमा	40	जाट	अप्रार्थी
(2)	जगमाल	हेमा	65	"	"
(3)	सता	मूला	60	"	"
(4)	मोडा	मूला	50	"	"
(5)	नेनू	भीखा	70	"	"
(6)	अचला	भीखा	65	"	"
(7)	तुलछा	रामा	70	"	"
(8)	भीमाराम	परमाराम	40	"	प्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई :–

मौके पर रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि संलग्न नक्शा के अनुसार स्थापित की गई है जो निम्न प्रकार है

क्र	ख.नं.	रकबा	रास्ते की चौडाई	रास्ते के कुल रकबा	डीएलसी दर	कीमत
(1)	770/431	22-19	20 फीट	0-20	7908/-	1582
(2)	769/431	23-11	"	0-25	7908/-	1977
(3)	428	51-28	"	1-19	7908/-	15421
(4)	741/419	11-39	"	0-06	7908/-	2372
(5)	742/419	8-00	"	0-05	9933/-	2483
				2-19		23835

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

Sunita Jat
पटवारी धारासर

तहसीलदार चौहटन 31/3/21

Scanned by CamScanner

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर प्रार्थी/अप्रार्थी
(1)	जमना	पत्नी देदा	जाट	[illegible] अप्रार्थी
(2)	[illegible]	पुत्र देदा	जाट	ठाकुराराम (अप्रार्थी)
(3)	सता	पुत्र रूपा	जाट	सताराम (अप्रार्थी)
(4)	[illegible]	पुत्र रूपा	जाट	मेघाराम (अप्रार्थी)
(5)	[illegible]	पुत्र [illegible]	जाट	[illegible] (प्रार्थी)

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
(1)	[illegible]	नीम्बा	70	जाट	अप्रार्थी
(2)	[illegible]	नीम्बा	65	~	~
(3)	[illegible]	[illegible]	70	~	

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
(1)	[illegible]	पत्नी [illegible]	55	जाट	[illegible]
(2)	[illegible]	पुत्र [illegible]	35	~	~

[illegible] घमंडाराम [illegible]

इस प्रकार आज दिनांक 7-[illegible]-2021 को [illegible] तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

Sunita Jat
सुनीता जाट
पटवारी (भू.अ.) [illegible]
तहसील - चौहटन

[illegible]
हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत [illegible]

[illegible] 30/3/21
तहसीलदार चौहटन

Scanned by CamScanner

ग्राम - किश्तवाट
ग्राम पंचायत - कौठे का तला
तहसील - चौहटन
पैमाना 1" = 80 गट्ठा

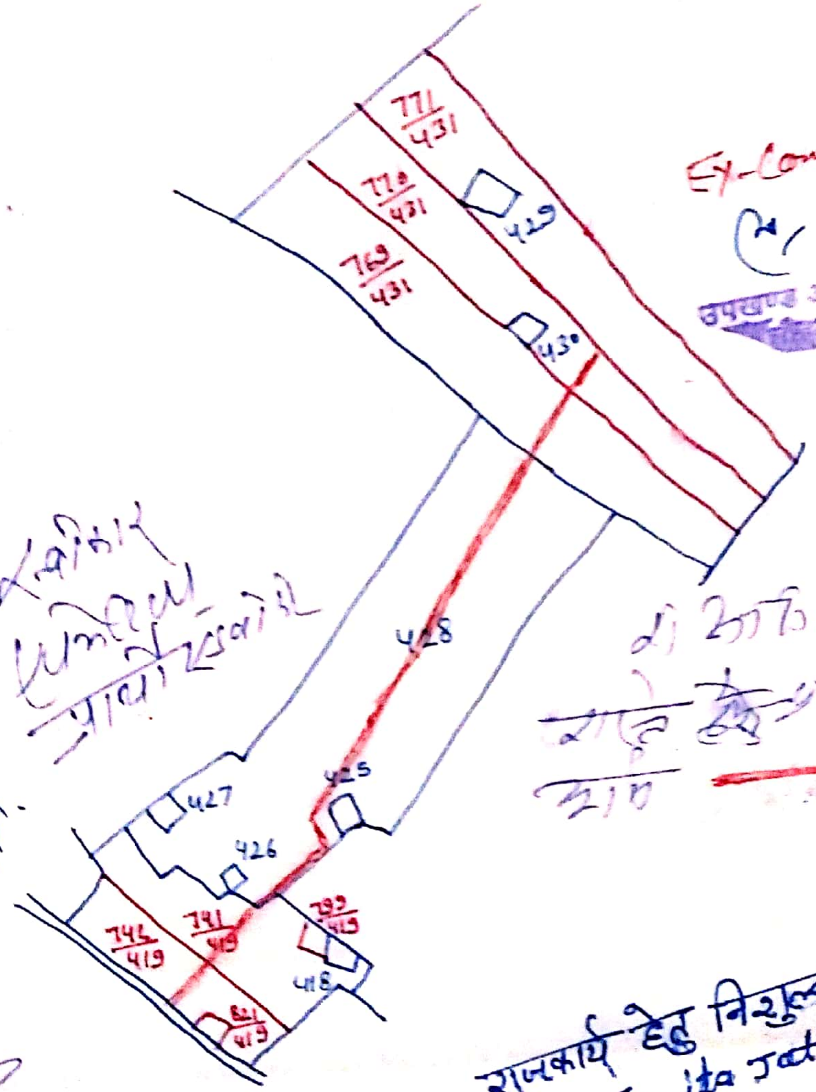

Ex-Cont

उपखण्ड अधिकारी

दि 30/10/2024

राजकार्य हेतु निशुल्क जारी

Sumita Jat

सुनीता जाट
पटवारी (भू.अ.) हल्का
चौहटन

Sumita Jat
प. हालाहट

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner